

7/5/24

अधिवक्ता वाडी द्वारा अर्थात पत्र मिसल पेची
उत्सुत करके पत्र पर्यावली पेच हुई जाये
कारण अधिवक्ता अर्थात पत्र उत्सुत कर
कागे वाड पत्र नही चलाता याहला ही
निवेदन किया अधिवक्ता वाडी द्वारा
Not press अंकित किया वाडी वाड पत्र
इसी तब पत्र खारिज किया जाता ही
पर्यावली वाड तक्राल मफला ऐकत
शरिबल इतल ऐक

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



Not Press

7/5/24